कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 55 / 2018 / 10–11 / 5 / 3122 भोपाल, दिनांक 13-9-22

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
ई–5, लिंक रोड़ नं. 3, रविशंकर नगर भोपाल–462016

विषयः– जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत सतधारा तालाब सिचांई परियोजना के निर्माण हेतु 39.00 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC040/2020-BHO दिनांक 24.05.2022

----0----

विषयांतर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्र चाही गई 02 बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त की जाकर संलग्न प्रेषित है :–

S.No.	Conditions	Compliance
1	As per DSS report, 4.23 ha area in submergence is not marked as Forest. Rectification / clarification needs to be submitted. If 4.23 ha area is added in the proposal then area becomes more than 40 ha so site should be inspected by FC.	वनमण्डलाधिकारी, टीकमगढ़ ने अवगत कराया है, कि जलमग्न रकबा 4.23 हे0 में से 1.923 हे0 डीनोटीफिकेशन दिनांक 26.11.1990 के अनुसार राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया है। शेष 2.307 हे0 जलमग्न क्षेत्र पूर्व से ही राजस्व विभाग का था, जिसका सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा कराया गया है। परियोजना में 39.00 हे0 वनभूमि ही प्रभावित हो रही है। जिसकी के.एम.एल. फाईल सी.डी. में संलग्न है।
2	Forest boundaries need to be rectified (in view of de-notification order) in DSS portal of FSI.	वनमण्डलाधिकारी, टीकमगढ़ ने अवगत कराया है, कि वर्ष 2013–14 में नवीन कार्य आयोजना तैयार करते समय टोपोशीट नक्शे पर नये मुनारा नम्बर अंकित किये गये है। अधिसूचना में दर्शित मुनारों ओर टोपोशीट में दर्शित मुनारों दोनों की बाउण्ड्री एक ही है, केवल मुनारा नम्बर में अन्तर है। साथ ही वनमण्डलाधिकारी, टीकमगढ़ ने अवगत कराया है, कि भविष्य में जब भी सर्वे आफ इण्डिया द्वारा टीकमगढ़ जिले का सर्वे किया जावेगा, तत्समय उक्त वनसीमा में संशोधन करा दिया जावेगा। सुलभ संदर्भ हेतु टोपोशीट नक्शा एवं डी–नोटीफिकेशन की प्रति संलग्न है।

अतः भारत सरकार के संदर्भित पत्र से चाहे अनुसार जानकारी तैयार कर 02 प्रतियों मे इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

13/9/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-II).docx

पृ0 क्रमांक / एफ–3 / 55 / 2018 / 10–11 / 5 / 3123 भोपाल, दिनांक 13-9-22

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), वृत्त छतरपुर, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल टीकमगढ़, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

12/9/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वन मण्डल टीकमगढ़ (म.प्र.)

पता : वन भवन, ढोंगा स्टेडियम के पास, वार्ड नं. 15 के समीप ईको सेन्टर टीकमगढ़ म.प्र. 472001

ई-मेल : dfotkmgar@mp.gov.in फोन नं. : 07683-245315 फेक्स नं. : 245315

क्रमांक/मा.चि./2022/ 1502 टीकमगढ़, दिनांक – 30/08/2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्ष भू-प्रबंध)
सतपुडा भवन म.प्र. भोपाल

विषय :- जिला टीकमगढ़ अन्तर्गत सतधारा तालाब सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 39.00 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/एफ-3/55/2018/10-11/5/2058 दिनांक 14.06.2022

विषयान्तर्गत निवेदन है, कि संदर्भित पत्र अनुसार चाही गई बिन्दुवार जानकारी निम्न प्रकार है

1. आवेदित वनक्षेत्र की के.एम.एल. फाईल तैयार की गई है, जिसका क्षेत्र 39.00 हेक्टेयर आता है, तथा के.एम.एल. फाईल का मानचित्र संलग्न किया गया है। संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक-1 अनुसार रकवा 4.23 हेक्टेयर जलमग्न क्षेत्र वन के रूप में नहीं आता है, इसमे बिन्दु क्रमांक-2 में दर्शायी डीनोटीफिकेशन की अधिसूचना अनुसार रकवा 1.923 हेक्टयर वनक्षेत्र राजस्व विभाग को हस्तांतरण किया गया है, शेष 2.307 हेक्टेयर जलमग्न क्षेत्र पूर्व से ही राजस्व विभाग का था, फिर भी आवेदित वनक्षेत्र का उपवनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़ से पुनः सत्यापन करवाया गया था, उनके प्रतिवेदन क्रमांक-465 दिनांक 25.02.2022 अनुसार सतधारा तालाब में 39.00 हेक्टेयर वन भूमि ही प्रभावित हो रही है, पत्र संलग्न है।
2. डी-नोटीफिकेशन की अधिसूचना क्रमांक-F-5-85-89-दस-3 (13) दिनांक 24.11.1990 राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 26.11.1990 के पेज क्रमांक 3668 में ग्राम लिधौरा ऊगड़ पेंच नंबर 2 रकवा 1.923 हेक्टेयर की सीमाएँ निम्नानुसार है –
   - उत्तर में मुनारा नंबर 268 बी से 268 तक पेंच की कृत्रिम सीमा।
   - पूर्व में मुनारा नंबर 268 से 271 तक वनखण्ड की सीमा।
   - दक्षिण में मुनारा नंबर 271 से 38 तक पेंच की कृत्रिम सीमा।
   - पश्चिम में मुनारा नंबर 38 से 39 तक वनखण्ड की सीमा एवं 39 से 268 वी तक पेंच की कृत्रिम सीमा दर्शायी गयी है।

परन्तु वर्ष 2013-14 में नवीन कार्य आयोजना तैयार करते समय टोपोशीट नक्शे पर नये मुनारा नंबर 51,51A,B,C,D,E,F एवं 52A,B नंबर अंकित किया गया है, जबकि दोनो की बाउण्ड्री एक ही है, केवल मुनारा नंबरो में अन्तर है, एफ.एस.आई. की फारेस्ट बाउण्ड्री को संशोधन कराने की आवश्यकता के दृष्टिगत सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा जब भी टीकमगढ़ जिले का सर्वे किया जावेगा। तत्समय ही उक्त वनसीमा में संशोधन करा दिया जावेगा।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- डी-नोटीफिकेशन की प्रति एवं टोपोशीट नक्शा।

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल, टीकमगढ़ (म.प्र.)

पृ0 क्रमांक/मा.चि./2022/ 1503 टीकमगढ़, दिनांक – 30/08/2022

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल, टीकमगढ़ (म.प्र.)

सिंचाई

4

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
7-9

कार्या. अ.प्र.मु.व.सं (भू.प्र.)
आवक क्रमांक 1732
मध्यप्रदेश, भोपाल 8/9/22

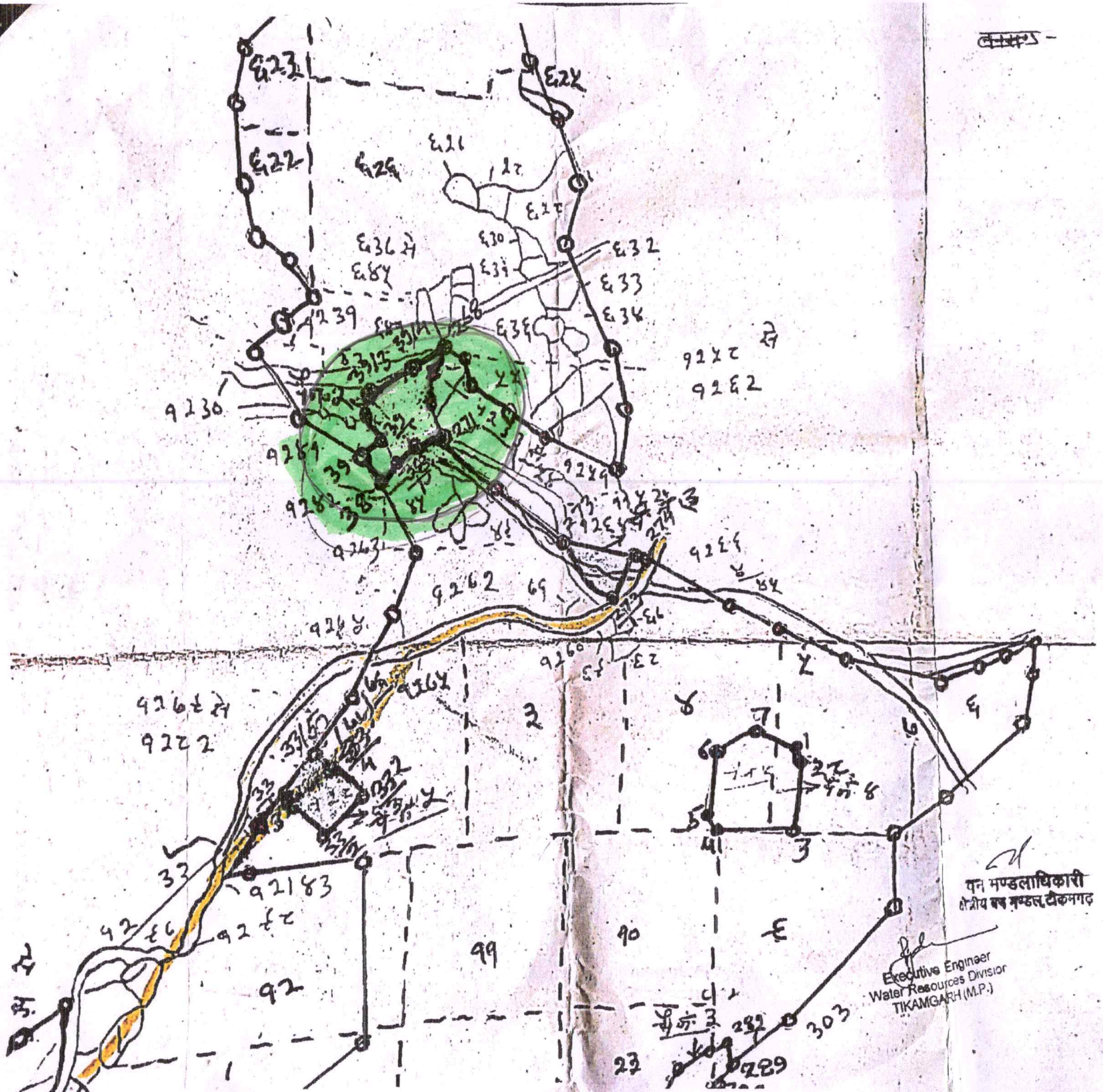

जल संसाधन संभाग टीकमगढ़

Executive Engineer
Water Resources Division
TIKAMGARH (M.P.)

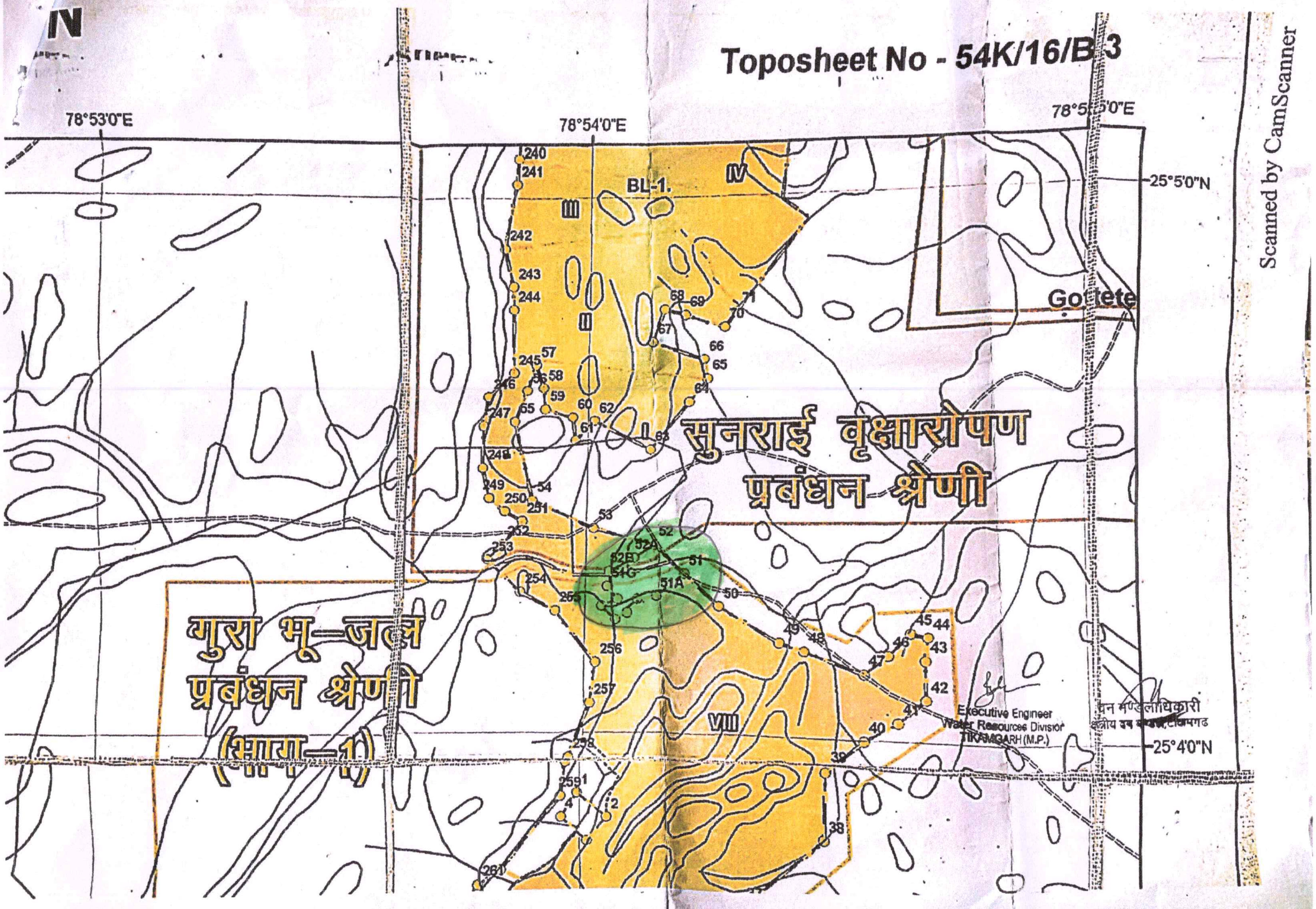

Scanned by CamScanner

धारा 34 अ - 76 78

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल 505/डब्ल्यू. पी.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 459] भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 नवम्बर 1990 अग्रहायण—5, शके 1912

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1990

क्र. एफ. 5-85-89-दस-3 (13).—मध्यप्रदेश राज्य को लागू भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का [illegible]) की धारा 34-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश [illegible] कि इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित हो जाने की तारीख से नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट [illegible] या वन का भाग, जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्र. 4789, तारीख 10 फरवरी 1973 द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन संरक्षित किया गया था, संरक्षित वन नही रहेगा :—

अनुसूची

जिला—टीकमगढ़, तहसील—जतारा, डिवीजन—टीकमगढ़, रेंज—जतारा

अ. क्र.	संरक्षित वनखण्ड का नाम /ग्राम का नाम	अतिक्रमण केन्द्र का नाम तथा अनुक्रमांक	प्रकोष्ठ क्र./ खसरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मलखेड़ा/ईशोन	ईशोन (1)	कक्ष क्र. पी 244 भाग 666 भाग	8.312	उत्तर.—मु. नं. 313 ई से 313 सी पेच की कृत्रिम सीमा.
	मलखेड़ा/लिधोरा जगल		कक्ष क्र. पी 243 (भाग)		पूर्व.—मु. नं. 313 सी से 314 तक पेच की कृत्रिम सीमा 313 सी से 313 एवं 313 से 314 तक वनखण्ड की सीमा.
			28 भाग	2.624	दक्षिण.—मु. नं. 314 से 313 एफ तक पेच की कृत्रिम सीमा.
			36 भाग	8.012	
			38 भाग	0.292	पश्चिम.—मु. नं. 313 एफ से 313 ई पेच की कृत्रिम सीमा.
				11.240	

Scanned with CamScanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ईशोन (2)	कक्ष क्र. पी 244 (भाग) 666 भाग	0.500	उत्तर.—मु. नं. 346 बी से 346 ए पेंच की कृत्रिम सीमा. पूर्व.—मु. नं. 346 ए से 346 तक पेंच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. नं. 345 से 346 सी तक वनखंड की सीमा. पश्चिम.—मु. नं. 346 सी से 346 बी पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	0.500	
		ईशोन (3)	कक्ष क्र. पी 244 (भाग) 666 भाग	0.649	उत्तर.—मु. नं. 315 बी से 315 ए पेंच की कृत्रिम सीमा. पूर्व.—मु. नं. 315 ए से 316 ए तक वनखंड सीमा. दक्षिण.—मु. नं. 316 ए से 315 डी पेंच की कृत्रिम सीमा. पश्चिम.—मु. नं. 315 डी से 315 बी पेंच की कृत्रिम सीमा.
				0.649	
			योग . .	12.389	
2	मलखेड़ा/लिधोरा जंगल	लिधोरा जंगल (1)	कक्ष क्र. पी 243 (भाग) 17 भाग 18 भाग 19 भाग 28 भाग	1.324 4.748 0.020 0.347	उत्तर.—मु. न. ए2 से ए8 पेंच की कृत्रिम सीमा. पूर्व.—मु. न. ए8 से ए6 तक पेंच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. नं. ए6 से ए4 तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पश्चिम.—मु. नं. ए4 से ए2 तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	6.439	
		लिधौरा जंगल (2)	कक्ष क्र. पी 243 (भाग) 28 भाग	4.894	उत्तर.—मु. नं. बी2 से बी 10 तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पूर्व.—मु. नं. बी10 से बी8 तक पेंच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. नं. बी8 से बी5 तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पश्चिम.—मु. नं. बी5 से बी2 पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	4.894	

Scanned with CamScanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		लिधौरा जंगल (3)	कक्ष क्र. पी 243 (भाग) 27 भाग	2.000	उत्तर.—मु. नं. सी1 से सी7 तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पूर्व.—मु. नं. सी7 से सी4 तक पेच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. नं. सी4 से सी3 तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	2.000	पश्चिम.—मु. नं. सी3 से सी1 पेच की कृत्रिम सीमा.
		लिधौरा जंगल (4)	कक्ष क्र. पी 243 (भाग) 26 भाग	0.992	उत्तर.—मु. नं. डी1 से डी4 तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पूर्व.—मु. नं. डी4 से डी3 तक पेच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. नं. डी3 से डी2 तक पेच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	0.992	पश्चिम.—मु. न. डी2 से डी1 तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
		लिधौरा जंगल (5)	कक्ष क्र. पी 243 (भाग) 26 भाग	0.404	उत्तर.—मु. नं. ई2 से ई1 तक पेच की कृत्रिम सीमा. पूर्व.—मु. नं. ई1 से ई4 तक पेंच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. नं. ई4 से ई3 तक पेच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	0.404	पश्चिम.—मु. नं.. ई3 से ई2 तक पेच की कृत्रिम सीमा.
		लिधौरा जंगल (6)	कक्ष क्र. पी 243 (भाग) 4 भाग 8 भाग	3.008 0.806	उत्तर.—मु. नं. यफ1 से यफ6 तक पेच की कृत्रिम सीमा. पूर्व.—मु. नं. यफ6 से यफ4 तक पेच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. नं. यफ4 से यफ2 तक पेच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	3.894	पश्चिम.—मु. नं. यफ2 से यफ1 तक पेच की कृत्रिम सीमा.
		लिधौरा जंगल (7) लिधौरा उगढ़	कक्ष क्र. पी 243 (भाग) 2 भाग 1282 भाग	0.940 0.200	उत्तर.—मु. नं. 34ए से 34डी वनखण्ड की सीमा. पूर्व.—मु. न. 34डी से 34सी तक पेच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. न. 34सी से 34बी तक पेच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	1.140	पश्चिम.—मु. न. 34बी से 34ए तक पेच की कृत्रिम सीमा.

Scanned with CamScanner

-79-

81

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		लिघौरा जंगल (8)	कक्ष क्र. पी 243 (भाग) 23 भाग	1.282	उत्तर.—मु. नं. 288सी से 288 तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पूर्व.—मु. नं. 288 से 289 तक वनखंड की सीमा 289 से 288एफ तक पेंच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. नं. 288एफ से 288ई तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पश्चिम.—मु. नं. 288ई से 288सी तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	1.282	
			कुल योग . .	20.844	
3	मलखेड़ा/ लिधौरा ऊगड़	लिधौरा ऊगड़ (1)	कक्ष क्र. पी 242 (भाग)		उत्तर.—मु. नं. 63 से 61एम तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			537 भाग	0.140	पूर्व.—मु. नं. 61एम से 61डी तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			538 भाग	0.820	
			539 भाग	3.839	दक्षिण.—मु. नं. 61डी से 61सी तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			540 भाग	0.160	
			541 भाग	0.648	पश्चिम.—मु. नं. 61सी से 61 तक पेंच की कृत्रिम सीमा एवं 61 से 63 तक वनखंड की सीमा.
			542 भाग	0.780	
			543 भाग	0.918	
			544 भाग	0.166	
			545 भाग	0.170	
			546 भाग	0.728	
			547 भाग	0.328	
			550 भाग	0.518	
			योग . .	9.135	
		लिधौरा ऊगड़ (2)	कक्ष क्र. पी 242 (भाग)		उत्तर.—मु. नं. 268बी से 268 तक पेच की कृत्रिम सीमा.
			638 भाग	0.235	पूर्व.—मु. नं. 268 से 271 तक वनखंड की सीमा.
			1233 भाग	0.148	
			1234 भाग	0.548	दक्षिण.—मु. नं. 271 से 38 तक पेच की कृत्रिम सीमा.
			1236 भाग	0.160	
			1242 भाग	0.540	पश्चिम.—मु. नं. 38 से 39 तक वनखंड की सीमा एवं 39 से 268बी तक पेच की कृत्रिम सीमा.
			1251 भाग	0.140	
			1253 भाग	0.152	
			योग . .	1.923	

Scanned with CamScanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		लिधौरा ऊगड़ (3)	कक्ष क्र. पी 242 (भाग) 1265 भाग	0.720	उत्तर.—मु. नं. 274ए से 274सी तक वनखण्ड की सीमा. पूर्व.—मु. नं. 274सी से 274बी तक पेंच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. नं. 274बी (बिन्दु) पश्चिम.—मु. नं. 274बी से 274ए तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	0.720	
			कुल योग . .	11.778	
4	मलखेड़ा/गोटेट ऊगड़	गोटेट ऊगड़ (1)	कक्ष क्र. पी 242 (भाग) 73 भाग 75 भाग 77 भाग 78 भाग	 0.628 0.041 0.251 14.343	उत्तर.—मु. नं. 73 से 74ए वनखण्ड की सीमा. पूर्व.—मु. नं. 74ए से 244ए पेंच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. नं. 244ए से 244 वनखण्ड की सीमा 244 से 247 पेंच की कृत्रिम सीमा और 247 से 248 वनखण्ड की सीमा. पश्चिम.—मु. नं. 248 से 73 पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	15.263	
		गोटेट ऊगड़ (2)	कक्ष क्र. कम्पा नं. 241 (भाग) 66 भाग 78 भाग	 0.844 4.728	उत्तर.—मु. नं. 77 से 80 ए ब्लाक की सीमा पूर्व.—मु. नं. 80ए से 77जी पेंच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. नं. 77जी से 77ई पेंच की कृत्रिम सीमा. पश्चिम.—मु. नं. 77ई से 77 पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	5.572	
			कुल योग . .	20.835	
5	मलखेड़ा/गोटेट खास	गोटेट खास (1)	प्रकोष्ठ क्र. 241 (भाग) 792 भाग 793 भाग 794 भाग	 0.020 1.280 1.216	उत्तर.—मु. नं.230 से 228 डी पेंच की कृत्रिम सीमा. पूर्व.—मु. नं. 228डी से 228बी पेंच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. नं. 228बी से 228 पेंच की कृत्रिम रेखा. पश्चिम.—मु. नं. 228 से 230 वनखण्ड की सीमा.
			योग . .	2.516	
		गोटेट खास (2)	कक्ष क्र. पी 240 (भाग) 802 भाग 805 भाग	 0.920 0.068	उत्तर.—मु. नं. 207ई से 207 तक वनखण्ड की सीमा. पूर्व.—मु. नं. 207 से 208 तक वनखण्ड की सीमा. दक्षिण.—मु. नं. 208 से 207डी तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पश्चिम.—मु. नं. 207डी से 207 ई तक वनखण्ड की सीमा.
			योग . .	0.988	

Scanned with CamScanner

-81-

83

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		गोटेटखास (3)	कक्ष क्र. पी 240 (भाग) 924 भाग	0.460	उत्तर.—मु. नं. जे से जे4 तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पूर्व.—मु. नं. जे4 से जे3 तक पेंच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. नं. जे3 से जे 1 तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पश्चिम.—मु. नं. जे2 से जे1 तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	0.460	
		गोटेटखास (4)	कक्ष क्र. पी 240 (भाग) 923 भाग	0.260	उत्तर.—मु. नं. 213डी से 213सी तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पूर्व.—मु. नं. 213सी से 213ए तक पेंच की कृत्रिम सीमा एवं 213 ए से 213 तक वनखण्ड की सीमा. दक्षिण.—मु. नं. 213 से 213ई तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पश्चिम.—मु. नं. 213ई से 213डी तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	0.260	
		गोटेटखास (5)	कक्ष क्र. पी 240 (भाग) 918 भाग 919 भाग 920 भाग	0.232 0.056 0.180	उत्तर.—मु. नं. 214ऐ से 214 तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पूर्व.—मु. नं. 214 से 215 वनखण्ड की सीमा. दक्षिण.—मु. नं. 215 से 214बी पेंच की कृत्रिम सीमा. पश्चिम.—मु. नं. 214बी से 214ए पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	0.468	
		गोटेटखास (6)	कक्ष क्र. पी 240 (भाग) 942 भाग	0.240	उत्तर.—मु. नं. 223डी से 223सी तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पूर्व.—मु. नं. 223सी से 223बी तक पेंच की कृत्रिम सीमा. दक्षिण.—मु. नं. 223बी से 223ए तक पेंच की कृत्रिम सीमा. पश्चिम.—मु. नं. 223ए से 223डी तक वनखण्ड की सीमा.
			योग . .	0.240	
			कुल योग . .	4.932	

Scanned with CamScanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	मलखेड़ा/ कछियागुड़ा	कछियागुड़ा (1)	प्रकोष्ठ क्र. पी 239 (भाग)		उत्तर.—मु. नं. 117एच से 117 तक पेंच की कृत्रिम सीमा एवं 117 से 118 तक वनखण्ड की सीमा.
			1379 भाग	1.040	
			1388 भाग	8.211	पूर्व.—मु. नं. 118 से 117एल तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			1395 भाग	0.720	दक्षिण.—मु. नं. 117 एच से 117एल तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
					पश्चिम.—मु. नं. 117एल से 117एच तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	9.971	
		कछियागुड़ा (2)	प्रकोष्ठ क्र. पी 239 (भाग)		उत्तर.—मु. नं. 102 से 101डी तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			1388 भाग	0.100	पूर्व.—मु. नं. 101डी से 101सी तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			1389 भाग	0.192	
			1391 भाग	0.220	दक्षिण.—मु. नं. 101सी से 101 तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
					पश्चिम.—मु. नं. 101 से 102 तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	0.512	
		कछियागुड़ा (3)	प्रकोष्ठ क्र. पी 239 (भाग)		उत्तर.—मु. नं. जी 1 (बिन्दु)
			1391 भाग	0.475	पूर्व.—मु. नं. जी1 से जी 7 तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
					दक्षिण.—मु. नं. जी7 से जी5 तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
					पश्चिम.—मु. नं. जी5 से जी1 तक वनखण्ड की सीमा.
			योग . .	0.475	
		कछियागुड़ा (4)	प्रकोष्ठ क्र. पी 239 (भाग)		उत्तर.—मु. नं. 129 बी से 129 तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			1397 भाग	0.088	पूर्व.—मु. नं. 129 से 130 तक वनखण्ड की सीमा.
			1399 भाग	1.000	दक्षिण.—मु. नं. 130 से 129सी तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
					पश्चिम.—मु. नं. 129सी से 129बी तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	1.088	
			योग . .	12.046	
7	मलखेड़ा/चदेरा ऊगड़	चदेरा-ऊगड़ (1)	कम्पा. नं. पी 240 (भाग)		उत्तर.—मु. नं. 193एम से 193सी पेंच की कृत्रिम सीमा.
			132 भाग	3.344	पूर्व.—मु. नं. 193सी से 193 तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			133 भाग	10.618	
			134 भाग	0.780	दक्षिण.—मु. नं. 193 से 194 वनखण्ड की सीमा और मु. क्र. 194 से 193 एस पेंच की कृत्रिम सीमा.
			135 भाग	0.916	
					पश्चिम.—मु. नं. 193एस से 193एम पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	15.658	

Scanned with CamScanner

-83-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		चंदेरा ऊगड़	क. नं.		उत्तर.—मु. नं. 184बी से 184ए पेंच की कृत्रिम सीमा.
		(2)	पी 240 (भाग)		
			136 भाग	0.380	पूर्व.—मु. नं. 194ए से 185ए वनखण्ड की सीमा.
		(3)	139 भाग	2.320	दक्षिण.—मु. नं. 185ए से 184एफ तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	2.700	पश्चिम.—मु. नं. 184एफ से 184बी तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
		चंदेरा ऊगड़	क. नं.		उत्तर.—मु. नं. 183सी से 183ए पेंच की कृत्रिम सीमा.
		(3)	पी 240 (भाग)		
		(2)	140 भाग	1.340	पूर्व.—मु. नं. 183ए से 183ई बाउन्ड्री लाईन की सीमा.
					दक्षिण.—मु. नं. 183ई से 183डी पेंच की कृत्रिम सीमा.
			योग . .	1.340	पश्चिम.—मु. नं. 183डी से 183सी पेंच की कृत्रिम सीमा.
		चंदेरा ऊगड़	क. नं.		उत्तर.—मु. नं. 153सी से 153बी पेंच की कृत्रिम सीमा.
		(4)	पी 241 (भाग)		
			20 भाग	0.260	पूर्व.—मु. नं. 153बी से 153ए पेंच की कृत्रिम सीमा.
		(5)	21 भाग	1.032	
			22 भाग	0.180	दक्षिण.—मु. नं. 153ए से 153 वनखण्ड की सीमा एवं 153 से 153 की पेंच की कृत्रिम सीमा.
			28 भाग	0.092	
			योग . .	1.564	पश्चिम.—मु. नं. 153डी से 153सी पेंच की कृत्रिम सीमा.
		चंदेरा ऊगड़	कम्पा. नं.		उत्तर.—मु. नं. आई3 से आई1 पेंच की कृत्रिम सीमा.
		(5)	पी 241 (भाग)		
			11 भाग	0.392	पूर्व.—मु. नं. आई1 से आई6 पेंच की कृत्रिम सीमा.
		(5)	12 भाग	1.040	
			13 भाग	0.220	दक्षिण.—मु. नं. आई6 से आई5 तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
			16 भाग	0.800	पश्चिम.—मु. नं. आई5 से आई3 तक पेंच की कृत्रिम सीमा.
				2.352	

Scanned with CamScanner

-84-
86

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		चंदेरा ऊगड़ (6)	कं. नं. पी 239 (भाग)		उत्तर.—मु. नं. एच 1 से एच 11 पेंच की कृत्रिम सीमा.
			1 भाग	0.137	पूर्व.—मु. नं. एच 11 से एच 5 पेंच की कृत्रिम सीमा.
			5 भाग	0.052	दक्षिण.—मु. नं. एच 5 से एच 4 पेंच की कृत्रिम सीमा.
			7 भाग	0.020	पश्चिम.—मु. नं. एच 4 से एच 1 पेंच की कृत्रिम सीमा.
			8 भाग	0.908	
			9 भाग	0.608	
			10 भाग	0.632	
			22 भाग	1.468	
			योग . .	3.825	
			कुल योग . .	27.439	
	वनखण्ड का योग . .	7 32	86	110.463	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक मसीह, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1990

क्र.एफ-5-85-89-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-85-89-दस-3 (13), दिनांक 24 नवम्बर 1990 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक मसीह, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 24th November 1990

No. F.5-85-89-X-3(13).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 34-A of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) in its application to the State of Madhya Pradesh, the State Government hereby directs, that with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", the Forest or portion of the Forest, specified in the Schedule below, protected by this department Notification No. 4782, dated the 10th February 1973 under the said Act, shall cease to be a protected Forest:—

SCHEDULE

District—Tikamgarh, Tehsil—Jatara, Division—Tikamgarh, Range—Jatara

S. No.	Name of Protected Forest Block/ Village Name	Name of Enchroachment Centre and S. No.	Comptt. No. / Khasra No.	Area (in Hect.)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Malkheda/Isone	Isone (1)	P 244 (part) (1)	8.312	North.—B. P. No. 313E to 313C, artificial line of patch.
			666 part		East.—B. P. No. 313C to 314, artificial line 313C to 313 and 313 to 314 boundary line of Block.
	Malkheda/ Lidhora Jungle		243 part		
			28 part	2.624	
			36 part	0.012	South.—B. P. No. 314 to 313F, artificial line of patch.
			38 part	0.292	
			Total . .	11.240	West.—B. P. No. 313F to 313E, artificial line of patch.

Scanned with CamScanner